Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Supply Appeal No.- 217 /2023

Fatma @ Bibi Fatma..Appellant

Versus

The State of Bihar & Ors ....Respondents

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	05-06-2024	**—:आदेश:—** प्रस्तुत अपील जिला स्तरीय चयन समिति, अररिया द्वारा अपीलार्थी की ओर से समर्पित जनवितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति आवेदन दिनांक— 17.11.2018 को अस्वीकृत किये जाने के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर C.W.J.C. No.- 4425/2023 में दिनांक— 12.9.2023 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। अपीलार्थी उपस्थिति। उत्तरवादी द्वारा समर्पित समयावेदन अस्वीकृत। अपीलार्थी को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा जनवितरण प्रणाली विक्रेता (P.D.S) की नई अनुज्ञप्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में कुल— 12 आवेदको द्वारा आवेदन समर्पित किया गया। जिसके आलोक मे तैयार मेधा सूची में अपीलार्थी पिछड़ा वर्ग महिला श्रेणी की प्रथम स्थान पर थी। इनके द्वारा विधिवत आवेदन समर्पित करते हुए सभी वांछित कागजात संलग्न किये गये थे। जिसमें कम्प्यूटर प्रमाण—पत्र भी संलग्न था, जो इमामुल हिन्द संस्थान कम्प्यूटर प्रशिक्षण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक— 09.09.2017 को निर्गत है। ग्राम पंचायत— काकन, प्रखंड— जोकीहाट में नई अनुज्ञप्ति हेतु उत्तरवादी सं0— 5 ने भी आवेदन समर्पित किया था जो मेघा सूची के क्रमांक— 2 पर थी। आपत्ति हेतु निर्गत सूचना के आलोक में अपीलार्थी द्वारा आपत्ति समर्पित की गई थी। जिला चयन समिति द्वारा इनका चयन न करते हुए उत्तरवादी सं0— 5 का चयन कर लिया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त चयन के विरूद्ध दिनांक— 12.02.2019 को जिला पदाधिकारी, अररिया के समक्ष आपत्ति दी गई किन्तु इन्हें उक्त चयन से वंचित रखा गया तथा मनमाने ढंग से उत्तरवादी सं0— 05 शाहीन सुलताना के पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत कर दी गई। उक्त आपत्ति के आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जोकीहाट ने पत्रांक— 113, दिनांक— 17.12.2018 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया को प्रतिवेदन समर्पित किया है। उत्तरवादी सं0— 5 के पति का विद्यालय शिक्षक के रूप में चयन हुआ था। उत्तरवादी सं0—5 की अनुज्ञप्ति के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में उक्त याचिका दायर की गई जिसमें पारित आदश के आलोक में विलंब क्षांत आवेदन के साथ प्रस्तुत अपील दायर किया गया क्रमशः	

Web Copy. Not Official.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	लगातार **05-06-2024**	है। निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी सं0–5 की ओर से दाखिल प्रत्युत्तर में कथन है कि प्रस्तुत अपील कालबाधित होने तथा तथ्यों के आधार पर पोशणीय नही है। बिहार लक्षियत सार्वजनिक नियंत्रण प्रणाली आदेश भाग XIII नियम–31(I) एवं 32 (VI) के तहत जिला पदाधिकारी अपीलीय प्राधिकार होते है। फलतः प्रस्तुत अपील जिला पदाधिकारी के समक्ष पोशणीय है। उल्लेखनीय है कि P.D.S अनुज्ञप्ति हेतु समर्पित आवेदन के साथ अपीलार्थी द्वारा कम्प्यूटर शैक्षणिक प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किया गया था। अपीलार्थी का दिनांक– 01.9.2017 का निर्गत कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र जाली है, जो आवेदन के बाद हासिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र संलग्न नही किये जाने के फलस्वरूप दिनांक– 24.12.2018 को कम्प्यूटर ज्ञान की जॉच (Test) लिया गया जिसमें वे उत्तीर्ण नहीं हो सकी फलस्वरूप उन्हें अयोग्य घोशित किया गया। चयन के समय अपीलार्थी के द्वारा संलग्न सभी दस्तावेजों की जॉच की गई। प्राप्त आपत्तियों पर जिला चयन समिति द्वारा समुचित विचार करते हुए अंतिम चयन सूची प्रकाशित की गई, जिसमें उत्तरवादी सं0– 5 का चयन नियमानुकूल है। चयन समिति द्वारा कम्प्यूटर ज्ञान जॉच में अपीलार्थी ने कुल 30 अंको में से मात्र 7 अंक प्राप्त करने के आधार पर इन्हें कम्प्यूटर ज्ञान में अयोग्य करार देते हुए उनका चयन नहीं करना सही है। उत्तरवादी सं0– 5 के चयन के समय इनके पति विद्यालाय शिक्षक नहीं थे। इसी प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। जिला पदाधिकारी, अररिया ने पत्रांक– 1064, दिनांक– 14.12.2023 द्वारा कंडिकावार मंतव्य समर्पित करते हुए स्पश्ट किया है कि नई जनवितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियों का विज्ञापन प्रकाशित किया गया एवं निर्धारित अवधि में प्राप्त आवेदन के आलोक में प्रखंडवार जिला चयन समिति की बैठक दिनांक– 26.07.2018 से 02.8.2018 तक करते हुए प्राप्त आवेदनों की मेघा सूची के अनुसार नई जनवितरण प्रणाली विक्रेता के चयन हेतु जिला चयन समिति द्वारा औपबंधिक स्वीकृति दी गई। औपबंधिक सूची में स्वीकृत के विरूद्ध दावा/आपत्ति दिनांक– 18.8.2018 के अपराह्न 5 बजे तक प्राप्त किया गया। साथ ही चार बिन्दूओं पर विभागीय मार्गद” ान हेतु पत्राचार किया गया। प्राप्त दावा आपत्ति के आलोक में जिला चयन समिति की बैठक दिनांक– 20.9.2018 को आहूत करते हुए उक्त प्रखंड के कुल 31 आपत्तियों पर समिति द्वारा पंचायतवार विचार किया गया। तदोपरांत चयन समिति द्वारा पंचायत– काकन, प्रखंड– जोकीहाट में उत्तरवादी सं0–5 शाहीन सुलताना (महिला पिछड़ा वर्ग) का अंतिम रूप से चयन किया गया। प्रभारी प्रखंड आपूर्ति क्रमशः	

Web Copy. Not Official.

Supply Appeal No.- 217 /2023

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	लगातार **05-06-2024**	पदाधिकारी, जोकीहाट ने अपने पत्रांक– 963/आ0, दिनांक–28.10.2018 एवं 113, दिनांक– 17.12.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि शाहीन सुलताना (उत्तरवादी सं0 5), पति– अता हूसेन, वार्ड सं0– 9 काकन के मूल निवासी है। उनके परिवार में जनवितरण प्रणाली की दुकान नही है। बीबो फातमा, पति–सोहराब, साकिन– काकन का कम्प्यूटर ज्ञान के संबंध में वस्तुनिश्ठ प्रश्नों की परीक्षा 24.12.2018 को लिया गया, जिसमें बीबी फातिमा परीक्षा में उत्तीर्ण नही हुई। फलतः इनका चयन नही किया गया। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत होने योग्य बताया है। उभय पक्षों को सुनने एवं जिला समिति द्वारा लिये गये निर्णय तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह स्पश्ट है कि अररिया जिला अंतर्गत प्रखंड– जोकीहाट, ग्राम पंचायत– कांकन में जन वितरण प्रणाली दुकान हेतु नई अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने में अपीलार्थी द्वारा अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाया गया है। जिला चयन समिति द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार करते हुए जिन अभ्यर्थियों द्वारा बाद में कम्प्यूटर ज्ञान का प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया, वैसे अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान के संबंध में वस्तुनिश्ठ प्रश्न की परीक्षा दिनांक– 24.12.2018 को आयोजित की गई थी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों का चयन करने का निर्णय जिला चयन समिति द्वारा लिया गया। उक्त परीक्षा में अपीलार्थी बीबी फातमा उत्तीर्ण नही हुई, फलतः इनका अंतिम रूप से चयन नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जोकीहाट ने पत्रांक– 963/आ0, दिनांक– 28.10.2018 एवं पत्रांक– 113, दिनांक– 17.12.2018 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया ह कि शाहीन सुलताना, पति– अता हुसेन, वार्ड सं0– 9 कांकन के मूल निवासी है। इनके परिवार में जन वितरण प्रणाली की दुकान नही है। जिला चयन समिति द्वारा सभी तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत दिनांक– 03.01.2019 को उत्तरवादी सं0– 05 शाहीन सुलताना को रोस्टर के अनुसार पिछड़ा वर्ग से नई अनुज्ञप्ति हेतु चयनित करते हुए अनुज्ञप्ति निर्गत की गई है। जो विधि सम्मत एवं न्यायोचित है। अतः उपर्युक्त के आलोक में जिला चयन समिति, अररिया द्वारा लिये गए निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नही पाते हुए इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अपील आवेदन अस्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजते हुए अपीलार्थी एवं उत्तरवादी सं0– 5 को भी उपलब्ध करावे। लेखापित एवं सशोधित आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णियॉ। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.